न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण कमांक /19 पुर्नरीक्षण याचिका (निगरानी-0793/2019/शिवपुरी)

शैतान सिंह पुत्र स्व0श्री उदुआ जाटव,आयु–58 वर्ष,व्यवसाय–कृषि,निवासी–ग्राम दिहायला ,तहसील नरवर,जिला शिवपुरी,म0प्र0

——पुर्नरीक्षणकर्ता

वनाम्

1–राजेन्द्र

2–कमल किशोर,

3–लोकपाल

4–बालकिशन पुत्रगण श्री मेघ सिंह रावत ,निवासी–तहसील नरवर,जिला शिवपुरी,म0प्र0

——अनावेदकगण

दिनांक 17-7-19 को श्री अर्जुन सिंह अभि0 द्वारा प्रस्तुत।

पुर्नरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर,म0प्र0 के द्वारा पारित प्रकरण कमांक 576/2017–2018/ अपील मे आदेश दिनांक 27–02–2019 से व्यथित होकर यह पुर्नरीक्षणं याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पे0दि0 20-8-19

श्रीमान,

पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुर्नरीक्षण निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, पुर्नरीक्षणकर्ता के स्वत्व,स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 3932 एवं 3934 कुल किता 2 कुल रकबा 2 हैक्टेयर भूमि ग्राम दिहायला, तहसील नरवर,जिला शिवपुरी में स्थित है।

2– यहकि,पुर्नरीक्षणकर्ता के स्वत्व,स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर प्रतिप्रत्यर्थीगण द्वारा बाहुवल के आधार पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया था।

3– यहकि, अनावेदकगण द्वारा किंये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा एक आवेदन धारा 250 म0प्र0भू–राजस्व संहिला का तहसीलदार नरवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था,जो प्रकरण कमांक 7/15–16/अ–70 पर दर्ज हुआ,जिस पर से तहसीलदार नरवर द्वारा ' पटवारी मौका से मौके की रिपोर्ट मंगायी गयी। रिपोर्ट में पुर्नरीक्षणकर्ता की भूमि पर अनावेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया था,जिसके आधार पर तहसीलदार नरवर द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–0793/2019/शिवपुरी/भू0रा0

शैतान सिंह विरूद्ध राजेन्द्र आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु आवेदन किया था, जिस पर तहसील न्यायालय ने कार्यवाही करते हुये 70 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर सिविल जेल वारंट करने का आदेश पारित किया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 576/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–02–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–7–2018 को हुए संशोधन अधिनियम 2018 के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के प्रश्चात इस न्यायालय में दिनांक 17–09–2019 को प्रस्तुत की गई है। संशोधन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(2)(ख) अनुसार इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में चुंकि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। अतः निगरानी आवेदन सुनवाई के लिए अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे 0के0 जैन) सदस्य	